

फर्द अहकाम

आर्जुन वर्मा बनाम शोफ (१२) ०

उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगद, पंजाब

न्यायालय

संख्या १४/२०२३

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२१/२५	<p>उपरोक्त पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा कर्तव्य/कार्य का परिष्कार करने के लिए पूर्वानुसार किया गया है</p> <p style="text-align: right;">२१/२५ </p>	
	०५/२५	<p>पत्रावली नैश, ३३/। वकील केंद्र पर ३००१ वकील उभय पक्षों की शा.पत्र मन्तर्गत धारा १२४ एल.आर. एक्ट पर बहस हुई। पत्रावली की आवक के लिए गणना पत्रावली वाले मादेश हेतु दिनांक ०६/२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी जमवारा मगद</p>	
	०६/०२/२५	<p>पत्रावली नैश, ३३/। वकील केंद्र पर उभय पत्रावली मादेश में नि-यात की है। पत्रावली की आवक के लिए गणना कि वकील उभय पक्षों के पत्रों के लिए गणना। मात्र पत्रावली की आवक करने के लिए के पत्र करने पर सुविधाओं हेतु आर्जुन वर्मा पर मन्तर्गत धारा १२४ एल.आर. एक्ट की प्रवर्तनीय नहीं है कि किण्व लागू है। पत्रावली के लिए के लिए नमूने कि के लिए वकील के लिए के लिए के लिए है।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी जमवारा मगद</p>	